23.4.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/418

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः   भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 101/2023   **GCMS 2023/418**   दायर दिनांकः— 17—05—2023

1— उग्रसेन पुत्र श्री अमीलाल } अकवाम जाट साकिनान 7 एफ बडा तहसील व
2—जगदीश राम पुत्र श्री अमीलाल } जिला श्री गंगानगर राज0

---- वादीगण

बनाम

1—लालचन्द पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट साकिन 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर

2— शाखा प्रबन्धक इलाहबाद बैंक शाखा सूरतगढ

3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

---- प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1—श्री राजवीर भादू अभिभाषक वादीगण

2—सुरेन्द्रपाल सिंह अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2

3— पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:—   दिनांक :— 23.04.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ खाता सं0 46/38 के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15/3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी न0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 , वादी न0 2 का 5/13 हिस्सा अर्थात 1.265 है0 एवं प्रतिवादी सं0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी न0 1 ने जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01—05—1995 को एवं वादी न0 2 ने जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01—05—1995 चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से तमाम प्रतिफल राशि अदा कर बैयनांमा अपने पक्ष पक्ष में तहरीर तकमिल करवा कर पंजियन करवा लिया एव कब्जा भूमि का मौका पर मय पानी प्राप्त किया गया । इसलिए वादीगण बैयनांमा के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनन हकदार है । जैरवाद भूमि पर खरीद से लेकर आज तक कब्जा काश्त वादीगण का बदस्तुर चला आ रहा है । वादीगण की जैरवाद किलाजात खरीद शुदा भूमि का [illegible] इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से संयुक्त खाता में इन्तकाल दर्ज कर दिया गया [illegible] में इन्तकाल मुताबिक बैयनांमा में दर्ज किलाजात अनुसार किया जाना उचित था [illegible] वादीगण मुताबिक बैयनांमा में दर्ज किलाजात अनुसार घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है। इसलिए जैरवाद भूमि का वादीगण खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

——2—— (प्र0 सं0 101/23 उग्रसैन वगैरह बनाम लालचन्द वगैरह)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 जरिये अभिभाशक प्रमेन्द्रसिंह भाटी , सन्दीप कुमार बाजीया , भागीरथ बिश्नोई , पुनम बिश्नोई , प्रतिवादी नं0 2 स्वयं उपस्थित आये होकर जबाब पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज उपस्थित हुये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में तनकी कायम की गई ।

1–आया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ खाता सं0 46/38 के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15/3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है ? ——वादीगण

2– आया कि वादी न0 1 ने चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 खरीद शुदा है ? ———वादी न0 1

3–आया कि वादी न0 2 ने चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से जैरवाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 खरीद शुदा है ? ——— वादी न0 2

4– आया कि वादीगण वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड एवं पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनन हकदार है ? ———वादीगण

इसके पश्चात वादीगण के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ खाता सं0 46/38 की 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी न0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 , वादी न0 2 का 5/13 हिस्सा अर्थात 1.265 है0 एवं प्रतिवादी सं0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी न0 1 ने जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01–05–1995 को एवं वादी न0 2 ने जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01–05–1995 चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से [illegible] खरीद से लेकर आज तक कब्जा काश्त वादीगण का बदस्तुर चला आ रहा है । [illegible] जैरवाद किलाजात खरीद शुदा भूमि का बैयनांमा का इन्तकाल दर्ज करते [illegible] संयुक्त खाता में इन्तकाल दर्ज कर दिया गया । जबकि राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल मुताबिक बैयनामा [illegible] किलाजात अनुसार किया जाना चाहिए था। इसलिए वादीगण मुताबिक बैयनांमा में दर्ज किलाज[illegible] अनुसार घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है। इसलिए जैरवाद भूमि का वादीगण खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी सं0 2 ने जबाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन सं0 133 दिनांक 04–03–2020 द्वारा इलाहाबाद बैंक का विलय इण्डियन बैंक में कर दिया गया है । माननीय न्यायालय इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी आदेश पारित करता है तो मुझ प्रतिवादी न0 2 के हितो पर विपरित प्रभाव न पड़े।

प्रतिवादी सं0 1 के अभिभाषक द्वारा जबाब प्रस्तुत नही करने पर जबाब दावा बन्द किया गया । प्रतिवादी सं0 1 के अभिभाषक द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तत शपथ–पत्र एव साक्ष्यो पर कोई जिरह नही की गई ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया । विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

1– आया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ खाता सं0 46/38 के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15/3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ खाता सं0 46/38 के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 2 ता 9, 11 ता 15/3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी न0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 , वादी न0 2 का 5/13 हिस्सा अर्थात 1.265 है0 एवं प्रतिवादी सं0 1 का 4/13 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 प्रस्तुत किये है । जो ई एक्स पी–1 है । जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नही की गई है । जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 संयुक्त हिस्से का खातेदार कास्तकार है । तनकी न0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

2– आया कि वादी न0 1 ने चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से जैर वाद भूमि वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 खरीद शुदा है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी नं0 1 पर था । वादी न 0 1 द्वारा वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 उप पंजीयक सूरतगढ के समक्ष पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम से करवाया गया । जैरवाद रकबा का कब्जा कास्त वादी न0 1 को सुपुर्द कर दिया गया । जिस पर वादी न01 का कब्जा कास्त चला आ रहा है । तथा मूल वादी न0 1 के द्वारा बैयनांमा की चिप्रतिलिपी पेश की गई जो ई एक्स पी –2 ए है । जिसके खण्डन में बैयनांमा प्रति मय शपथ–पत्र [illegible] की गई । जो ई एक्स पी–2 है । जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत [illegible] जिससे यह सिद्ध हो सके की वादी नं0 1 के कथन गलत दर्शित किये गये है । इसलिए [illegible] वादी न0 1 निर्णित की जाती है ।

3– आया कि वादी न0 2 ने चिमना[illegible] जाति जाट साकिन सिद्धवाला व हनुमान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन माझुवास से जैरवाद [illegible] वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 खरीद शुदा है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी न0 2 पर था । वादी न0 2 द्वारा वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 01–05–1995 उप पंजीयक सूरतगढ के समक्ष पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर चिमनाराम पुत्र श्री लेखराम से करवाया गया । जैरवाद रकबा का कब्जा कास्त वादी न0 2 को सुपुर्द कर दिया गया । जिस पर वादी न0 2 का कब्जा कास्त चला आ रहा है। वादी न0 2 के द्वारा बैयनांमा की चिप्रतिलिपी पेश की गई जो ई एक्स पी –3 ए है । तथा मूल बैयनांमा प्रति मय शपथ–पत्र प्रस्तुत की गई । जो ई एक्स पी–3 है । जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्ध हो सके की वादी न0 2 के कथन गलत दर्शित किये गये है। इसलिए तनकी न0 3 बहक वादी न0 2 निर्णित की जाती है ।

4– आया कि वादीगण वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड एवं पं0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनन हकदार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण द्वारा के द्वारा तनकी न0 1 , 2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो जो ई एक्स पी –1 , 2, 2ए, 3, 3ए है के आधार पर जैरवाद भूमि के किला न0 6 ता 9 /1.012 है0 वादी न0 1 एवं किला न0 11 ता 15/1.265 है0 भूमि वादी न0 2 ने जरिये बैयनांमा चिमनाराम व हनुमान से खरीद किया जाना साबित किया है जिसका खण्डन प्रतिवादी न0 1 के द्वारा नही किया गया है । इसलिए तनकी न0 4 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार वादीगण के वाद–पत्र में प्रस्तुत दस्तावैज का अवलोकन करने तथा तनकीयात बार वाद का विवेचन करने पर बहक तनकी वादीगण निर्णित की गई है इस आधार पर उक्त वाद–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा में वादी न0 1 उग्रसेन पुत्र अमीलाल के नाम वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि एवं वादी न0 2 जगदीश राम पुत्र श्री अमीलाल के नाम वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 खातेदारी भूमि खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

1– उग्रसेन पुत्र श्री अमीलाल
2–जगदीश राम पुत्र श्री अमीलाल } अकवाम जाट साकिनान 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादीगण

बनाम

1–लालचन्द पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट साकिन 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर
2– शाखा प्रबन्धक इलाहबाद बैंक शाखा सूरतगढ
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

——— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 101 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू , प्रतिवादी सं0 1 जरिये अभिभाषक प्रमेन्द्रसिंह भाटी , सन्दीप कुमार बाजीया , भागीरथ बिश्नोई , पुनम बिश्नोई , प्रतिवादी नं0 2 स्वयं उपस्थित आये एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

जैरवाद रकबा में वादी न0 1 उग्रसेन पुत्र अमीलाल के नाम वाके **चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 6 ता 9/1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि एवं वादी न0 2 जगदीश राम पुत्र श्री अमीलाल के नाम वाके चक 5 एस एच पी डी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 73/339 मु0 न0 6 के किला न0 11 ता 15/1.265 है0 खातेदारी भूमि खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।**

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर .....×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे । बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.23 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)